76/2016-17

120 16/3

103 1024

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत डोमन तेली पिता लोहरा तेली के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप मे सादा हुकुमनामा वर्ष 1955 एवं दो प्रति. जमींदारी लगान रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है .	
	जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा भागलपुर जुलजुला, थाना न0 24 के सर्वे खतियान में खाता सं0 16 प्लॉट सं0 103 रकबा क्रमश 1.02 एकड़ भूमि गैरमजुरूआ खास परती कदीम दर्ज है।	
	राजस्व मांग पंजी ii भाग I के पृष्ट सं0 90 में डोमन तेली पिता लोहरा तेली के नाम दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। लगान वसूली वर्ष.1977 से 2007–08 दर्ज है।	
	संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बन्दोबस्ती / जमाबंदी से संबंधित पर्याप्त व नियमानुकुल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। रैयत द्वारा वर्षवार लगान जमा दर्ज नहीं पाया गया। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल–कब्जा नहीं है।	
	राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा भागलपुर जुलजुला थाना नं0 24 खाता सं0 16 प्लॉट सं0 103 रकबा 1.02 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत डोमन तेली पिता लोहरा तेली के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।	
	अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा भागलपुर जुलजुला थाना नं0 24 खाता सं0 16 खेसरा सं0 103 रकबा 1.02 एकड़ भूमि की जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।	
	अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजें।	
	लेखापित संशोधित।	
	02/11/2020 अंचल अधिकारी कर्रा।	
	02/11/2020 अंचल अधिकारी कर्रा।	